

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 375
11 अगस्त, 2017 को उत्तर के लिए

रक्षा बलों में महिलाओं की भर्ती

***375. श्री पिनाकी मिश्रा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का रक्षा बलों में सचिवीय और प्रशासनिक नौकरियों के लिए महिलाओं को भर्ती करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या रक्षा बलों में ऐसी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती से रक्षा बलों की कार्य क्षमता को प्रभावित किए बिना नौकरी के अवसरों में वृद्धि होगी; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली)

- (क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

लोक सभा में 11.08.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 375 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): सेना में महिलाओं को अल्प सेवा कमीशन प्रवेश के माध्यम से शामिल किया जाता है और उन शाखाओं/सेवाओं, जिनमें सीधे रूप से लड़ाई की भूमिका शामिल है, को छोड़कर सभी सशस्त्र/सेवाओं में कमीशन प्रदान किया जाता है ।

भारतीय नौसेना में, सचिवीय और प्रशासनिक नौकरियों के लिए रक्षा सिविलियनों (पुरुष और महिला दोनों) की भर्ती तटीय संगठनों के लिए की जा रही है । इस समय महिलाओं को संभारिकी, विधि, पर्यवेक्षण, हवाई यातायात नियंत्रण, पायलट (समुद्री टोही शाखा), नौसेना शस्त्रास्त्र निरीक्षणालय संवर्ग (एनएआईसी), नौसेना वास्तुकार और शैक्षणिक शाखाओं/संवर्गों/विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में शामिल किया जाता है ।

भारतीय वायु सेना अफसरों की भर्ती के लिए एक लिंग भेद रहित नीति अपनाती है । भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए उपलब्ध सभी अवसरों को पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाता है । महिला अफसरों को भारतीय वायु सेना की सभी ग्राउण्ड ड्यूटी शाखाओं जैसेकि तकनीकी, प्रशासनिक, संभारिकी, लेखा, शिक्षा और मौसम विज्ञान शाखाओं में भर्ती किया जाता है । भारतीय वायु सेना के एयरमेन और नॉन काम्बेटेन्ट्स (भर्ती) [एनसी (इ)] संवर्ग में केवल पुरुष सदस्य ही भर्ती किए जाते हैं ।
